निर्णय न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

——

दिनांकः 25.03.2021

प्रकरण संख्या– 110/2019 वाद

उनवान

शंकरलाल पिता वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्त्तौडगढ (राज)

................वादी

।। बनाम ।।

1. पेमा पिता तारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्त्तौडगढ (राज)
2. भग्गा पिता तारू जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्त्तौडगढ
3. रामी पुत्री वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्त्तौडगढ (राज)
4. नानी पुत्री वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्त्तौडगढ (राज)
5. गंगा पुत्री तारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्त्तौडगढ (राज)
6. देउ पुत्री तारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्त्तौडगढ (राज)
7. शांतिलाल पिता दुदीराम जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्त्तौडगढ (राज)
8. प्रकाश पिता बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्त्तौडगढ (राज)
9. संतोष पिता बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्त्तौडगढ (राज)
10. गंगा पुत्री बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्त्तौडगढ (राज)
11. टीना पुत्री बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्त्तौडगढ (राज)
12. कैलाशी बाई पत्नि बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्त्तौडगढ
13. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित– श्री नरेन्द्र सिंह वकील वादी

श्री जाहिद रजा वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6

श्री सूरपालसिहं वकील प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के तहत इस आशय [illegible] किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:53 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि मौजा ग्राम सोमावास, पटवार [illegible] भदेसर, में वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड है जो खतो[illegible] संख्या 71 में दर्ज [illegible] 791, 792, 793, कुल किता 03 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर एव इसी तरह ग्राम भीमलोद तहसील भदेसर में अवस्थित

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 2 मे दर्ज आ.नं. 190, 457, 469, 470, 472, कुल किता 05 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2070से 2073 संलग्न वाद पत्र पेश है।

2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर मौके पर पक्षकारान दोनो खातें में वर्णित आराजीयात पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार काबिज है परन्तु मौके पर विधिवत बंटवाडा नहीं होने से उक्त दोनों ही खातो में वादी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से में आई कृषि भूमि का बाई मिट्स बाउण्ड बंटवाडा किया जाकर लगान की फाटनी अलग अलग किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें।

3. यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित दोनों खातों में वादी कृषि आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नहीं होने से पक्षकारान के मध्य रकबे की कमी बेशी व मेर पाली को लेकर एवं अच्छी बुरी जमीन को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है जिससे वादी अपना राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स बाउण्डस पद्धति से बंटवाडा करवाने का अधिकारी होने से उक्त वाद पत्र बाबत बंटवाडा आराजीयात श्रीमान् के समक्ष पेश है।

4. यह कि विवादित आराजीयात के संबंध में आपसी सहमति से बंटवाडा हेतु प्रतिवादीगण को मौखिक रू‌प से निवेदन करने पर प्रतिवादी सहमति से बंटवाडा हेतु तैयार नहीं होने से यह वाद पत्र बंटवाडा आराजीयात का श्रीमान के समक्ष पेश है।

5. यह कि बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 26.03.2019 को अंतिम बार वादी द्वारा प्रतिवादीगण को सहमति से बंटवाडा हेतु तहसील कार्यालय में चलकर बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा सहमति सें बंटवाडा कराने में आना कानी की तथा मौके पर विवाद करने पर आमादा हुए जिससे वाद कारण पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बादजांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6 की ओर से वकील श्री जाहिद रजा ने पावर पेश करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण मौखिक बंटवाडे अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें इसलिए कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवारा कराया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7,8, 9, 10, 11, 12 की ओर से [illegible] श्री सूरपालसिहं द्वारा उपस्थिति देते हुए इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। शेष प्रतिवादी [illegible] को रजिस्टर्ड सम्मन भेजे गये थे किन्तु बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत जवाबदावा, इकबालिया जवाबदावा एवं वाद के समर्थन में वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी मौजा सोमावास की खाता संख्या 71 संवत् 2070–2073 प्रदर्श–1 एवं मौजा भीमलोद की खाता संख्या 2 संवत् 2070–2073 में दर्ज अनुसार विवादित आराजीयात् पक्षकारान् के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर जमाबन्दी लोक दस्तावेज है जो संदेह से परे है। पक्षकारान् द्वारा संयुक्त खातेदारी में दर्ज आराजी का माफिक हिस्सा व बाहमी तौर पर मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन चाहा गया गया । दोनों पक्ष विभाजन चाहते है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है कि ग्राम सोमावास पटवार हल्का नपावली की आ.नं. 791, 792, 793, कुल किता 03 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर एव इसी तरह ग्राम भीमलोद तहसील भदेसर की आ.नं. 190, 457, 469, 470, 472, कुल किता 05 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं मौके पर बाहमी विभाजन के कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन से अलग कर अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार भदेसर को 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें । विभाजन में संबंधीत काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे । इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:53 IST
Reason: SelfAttested

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय—उपखण्ड अधिकारी, मुकाम—भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास — सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

शंकरलाल पिता वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)

................वादी

।। बनाम ।।

1. पेमा पिता तारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
2. भग्गा पिता तारू जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. रामी पुत्री वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
4. नानी पुत्री वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
5. गंगा पुत्री तारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
6. देउ पुत्री तारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
7. शांतिलाल पिता दुदीराम जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)
8. प्रकाश पिता बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)
9. संतोष पिता बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)
10. गंगा पुत्री बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)
11. टीना पुत्री बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)
12. कैलाशी बाई पत्नि बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ
13. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर जिला चित्तौडगढ

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0 का0 अधि0 1955
प्रकरण सं0 .110/2019

वादी की और से वकील श्री नरेन्द्रसिहं पंवार एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6 की ओर से वकील श्री जाहिद रजा एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12 की ओर से वकील श्री सूरपालसिहं की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 25.03.2021 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है कि ग्राम सोमावास पटवार हल्का नपावली की आ.नं. 791, 792, 793, कुल किता 03 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर एव इसी तरह ग्राम भीमलोद तहसील भदेसर की आ.नं. 190, 457, 469, 470, 472, कुल किता 05 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं मौके पर बाहमी विभाजन के कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन से अलग कर अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार भदेसर को 2000/— अ[illegible] [illegible] रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभा[illegible] प्र[illegible] लगान फाटनी कर कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया [illegible] विभाजन में संबंधीत काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था [illegible] पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 25—03—2021 को [illegible] पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मिसल नम्बर 110/2019

हुक्मनामा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ

दिनांक 25.03.2021

उनवान

शंकरलाल पिता वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)

................वादी

।। बनाम ।।

1. पेमा पिता तारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
2. भग्गा पिता तारू जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. रामी पुत्री वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
4. नानी पुत्री वरदा जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
5. गंगा पुत्री तारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
6. देउ पुत्री तारू जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी भीमलोद, तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज)
7. शांतिलाल पिता दुदीराम जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)
8. प्रकाश पिता बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)
9. संतोष पिता बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)
10. गंगा पुत्री बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)
11. टीना पुत्री बाबरू नाबालिग जरिये माता कैलाशी बाई बेवा बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज)
12. कैलाशी बाई पत्नि बाबरू जाति डांगी, उम्र वयस्क निवासी घाघरा, तहसील व जिला चित्तौडगढ
13. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर जिला चित्तौडगढ

.........प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0 का0 अधि0 1955</u>

वास्ते

तहसीलदार
भदेसर

उपरोक्त उनवानित प्रकरण में आपको 2000/– अक्षरे दौ हजार रूप्ये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम सोमावास पटवार हल्का नपावली की आ.नं. 791, 792, 793, कुल किता 03 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर एव इसी तरह ग्राम भीमलोद तहसील भदेसर की आ.नं. 190, 457, 469, 470, 472, कुल किता 05 कुल रकबा 2.15 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर एवं मौके पर बाहमी विभाजन के कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन से अलग कर अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । इसी आशय की डिक्री सादिर की गई है । अतः उक्तानुसार मुकदमा पक्षकारान की मौजूदगी विभाजन ... फाटनी कर मय नक्शा ट्रेस तैयार करा दिनांक 30–4–2021 से पूर्व न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें ... प्रस्ताव में संबंधी काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग सुरक्षित रखा जावे ।

यह हुक्मनामा आज दिनांक .25.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 16:10:53 IST
Reason: SelfAttested

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner